प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 21.03.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 168 वाहनों से 2,29,800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 21.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 168 वाहनों से 2,29,800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 61 मुकदमों से संबंधित 84 लीटर कच्ची शराब व प्रतिबन्धित 1126 पाउच देशी शराब नष्ट

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक ***सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी **खलीलाबाद *श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में, उपजिलाधिकारी खलीलाबाद के आदेश के अनुपालन में नायब तहसीलदार ***श्रीमती प्रियंका तिवारी*** तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दूबे*** की उपस्थिति में यह कार्रवाई संपन्न की गई।

इस दौरान निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह, व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, हे0का0 गोविन्द शरण एवं हे0का0 बृजेश कुमार यादव द्वारा संयुक्त रूप से कुल 61 अभियोगों से संबंधित 84 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं 1126 प्रतिबंधित बन्टी-बबली पाउच देशी शराब को विधि सम्मत तरीके से नष्ट किया गया।

यह कार्रवाई अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने तथा जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं विधिक रूप से संपन्न कराया गया।

जनपद पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना दुधारा पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 108/2025 धारा 69,89,351(3) बी0एन0एस0 3(2)(v), 3(2)(va), 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 आलम पुत्र तसौव्वर हुसैन ग्राम कोहरियावां थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 21.03.2026 को करमाखान तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि थाना दुधारा पर वादिनी के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, जातिसूचक शब्द व धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनाँक 20.03.2026 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द शर्मा, उ0नि0 श्री शोभनाथ, हे0का0 राम विनय यादव।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 21.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2026 धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता रवि चौधरी पुत्र स्व0 शोभनाथ चौधरी निवासी छराछ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर हाल पता नौहट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को बड़गो तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 21.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- नि0अपराध श्री राकेश कुमार सिंह, का0 रघुवंश।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 15 स्थान पर लगवाये गये 55 सीसीटीवी कैमरे

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत आज दिनाँक 21.03.2026 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 15 स्थान पर 55 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 12 कैमरा, थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 02 स्थान पर 07 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 03 स्थान पर 11 कैमरा, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा, थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 06 स्थान पर 16 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।